

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग
अधिसूचना
दिनांक 22 जनवरी, 1991

संख्या जे0 डी0-91/732- अद्यतन यथासंशोधित पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबन्ध अधिनियम, 1963 की धारा-4 की उप-धारा (i)(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल नीचे दी गई और इससे संलग्न नक्शे में दर्शायी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुसार गांव गैरतपुर बास के प्राथमिक विद्यालय, जिला गुड़गांव के आस पास के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियन्त्रित क्षेत्र सहर्ष घोषित करते हैं।

अनुबन्ध

जिला गुड़गांव के गांव गैरतपुर बास में प्राथमिक विद्यालय के आस पास के नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा- अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी0 टी0 पी0 (जी) 141/90 दिनांक 31 मार्च, 1990 के साथ पढ़ा जाए।

अनुसूची

उत्तर:- बिन्दु "ए" से लेकर जोकि गांव गैरतपुर बास की आयत सं0 33 का उत्तर-पश्चिमी कोना है, उसके बाद पूर्व की ओर आयत सं0 33 तथा 32 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ उसके बाद उत्तर की ओर आयत सं0 24 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ उसके बाद पूर्व की ओर आयत संख्या 24-25 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ उसके बाद उत्तर की ओर आयत सं0 15 तथा 12 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ। उसके बाद पूर्व की ओर गांव गैरतपुर बास की आयत संख्या 12 तथा 13 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ बिन्दु "बी" तक जोकि गांव गैरतपुर बास की आयत सं0 13 का उत्तरी-पूर्वी कोना है।

पूर्व-दक्षिण तथा पश्चिम:- उसके बाद दक्षिण-पूर्व-पश्चिम और उत्तर की ओर गांव गैरतपुर बास की राजस्व सीमा के साथ-साथ बिन्दु "ए" तक अर्थात् शुरु के बिन्दु तक।

तरसेम लाल,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाण सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
Notification

The 22th January, 1991

No. JD-91/732- In exercise of the powers conferred by sub-section (i) (B) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 as amended upto date and all other powers enabling him the Governor of Haryana is pleased to declare the area around Primary School at Village-Gairatpur Bas, District Gurgaon as specified in the schedule given below and shown on the plan appended hereto, to be a controlled area for the purposes of the said Act,:-

ANNEXURE

Schedule of Boundaries of the controlled area around Primary School at Village- Satlaka, Dist. Gurgaon to be read with Drg. No. DTP(G) 141/90 dated 31th March 1990.

SCHEDULE

North:- Starting from point 'A' which is the north-western corner of Rect. No. 33 of village Gairatpur Bas, thence towards east along the northern boundary of Rect. No. 33 and 32. Thence towards north along the western boundary of Rect. No. 24. Thence towards east along the northern boundary of rect. No. 24 & -25. Thence towards north along the western boundary of Rect. No. 15 and 18. Thence towards east along the northern boundary of rect. No. 12 and 13 of village-Gairatpur Bas upto point 'B' which is the north-eastern corner of rect. No. 13 of Village - Gairatpur Bas.

East, South and West:- Thence towards south-east-west and north along the revenue boundary of village Gairatpur Bas upto point 'A' i.e. the point of start.

TARSEM LAL

Commissioner & Secretary to Government, Haryana,
Town & Country Planning Department.